जाहिर की थी कि हमारा व्यापार बढ़े। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। बहुत हो गया।

श्री कमल नाथ: आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि शक्कर की छूट पर, जहां पहले ...(व्यवधान)... जो कुछ रोक या रुकावट थी ...(व्यवधान)... वह रोक रुकावट भी समाप्त हुई है।

श्री सभापति: आप बिल्कुल ...(व्यवधान)... बाहर चले गए हैं। श्री राजू परमार।

श्री राजू परमार: चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हुआ है, ऐसे ही क्या श्रीलंका के साथ भी पॉम ऑयल, सोयाबीन और वनस्पति घी के बारे में ऐसा कोई एग्रिमेंट हुआ है, यदि हुआ तो इसका क्या ब्यौरा है? क्या इस एग्रिमेंट की वजह से हमारी जो इंडियन कम्पनियां हैं, उनको कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं?

श्री सभापति: आप क्वेश्चन के एकोप से बाहर हैं। क्वेश्चन का स्कोप ही नहीं है।

श्री कमल नाथ: सर, भारत का ट्रेड एग्रिमेंट में पहला समझौता श्रीलंका के साथ लगभग चार साल पहले हुआ था। जैसा मैंने पहले उत्तर में कहा था कि इस प्रकार के समझौते में यह हमारा अनुभव था। यह बात सही है कि कई शिकायतें आईं कि चीन से डायवर्ट होकर श्रीलंका को बेस बनाकर, श्रीलंका को आधार बनाकर, यह बड़े सस्ते भाव में यहां आ रहा था। हमें कई चीजों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें आईं, पेपर के बारे में, काली मिर्च के बारे में, वनस्पति के बारे में और तरह-तरह की चीजों के बारे में भी शिकायत आई है। इसलिए हमने श्रीलंका गवर्नमेंट से टेकअप किया है। गर्वनमेंट का ध्यान इस ओर पूरी तरह से आकर्षित है।

*142. [The questioner (Shri Shunmuga Sundram) was absent. For answer *vide* page 33]

Declaration of NIFT as deemed University

*143. SHRI LALITBHAI MEHTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the National Institute of Fashion Technology awards any degree to those who complete four years' study successfully;

(b) to which university, the above Institute is affiliated;

(c) if the Institute is not affiliated to any university, what is its academic status in awarding degrees and make the degree holders employable;

(d) whether Government intend to declare NIFT as a deemed university, if so, by when the decision would be taken; and

(e) whether the students admitted in NIFT, Gandhinagar, Gujarat have any residential facility by way of hostels owned by the Ministry of Textiles?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. National Institute of Fashion Technology (NIFT) has introduced 4-year undergraduate professional education programme from the year 2003. Currently NIFT awards Diplomas on completion of its professional programmes.

(b) NIFT is an autonomous institute under the Ministry of Textiles and is not affiliated to any university.

(c) NIFT is not affiliated to any University and awards Diplomas and not degrees. The NIFT's programmes are highly industry oriented and the NIFT pass-outs are in good demand and are readily absorbed by the industry.

(d) Efforts are being made by the Government to declare NIFT as an 'Institution of National Importance'.

(e) Currently, the girl students admitted in NIFT Gandhinagar, Gujarat are provided hostel facility in the accommodation allotted by the Govt. of Gujarat. NIFT proposes to construct girls' hostel within the Campus on the additional land in the near future.

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलोजी के अभ्यासक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, लेकिन यह प्रवेश परीक्षा 12-वीं कक्षा के परिणाम आने से पहले ली जाती है। जो विद्यार्थी 12-वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाते हैं, उनको ही प्रवेश दिया जाता है। पहले प्रवेश परीक्षा और फिर इंस्टीट्यूशनल टैस्ट, ये दोनों लिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं और आर्किटैक्ट के हैं, उनमें प्रवेश परीक्षा 12-वीं कक्षा के परीणाम आने के बाद ही ली जाती है। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को यह प्रवेश परीक्षा 12-वीं कक्षा के

परिणाम आने के बाद ही ली जाए, क्योंकि इसमें लगभग एक लाख के करीब विद्यार्थी बैठते हैं और 1500 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। विद्यार्थियों को यह तय करने दीजिए कि 12-वीं कक्षा में उनके 50 प्रतिशत अंक आए या नहीं आए। मेरे प्रश्न का दूसरा पार्ट यह है कि चार साल का अभ्यासक्रम पूर्ण करने के बाद भी, इनको डिप्लोमा देने की शुरूआत अभी 2003 से शुरू की है। इससे पहले सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता था। इसके कारण केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, विभिन्न राज्यों की जो लोक सेवा परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थी क्वालीफाई नहीं होते हैं। सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए क्या प्रावधान करने जा रहे हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, जो पहला हिस्सा है, उसके बारे में बता दूं कि आज तक कोई कम्पलेन्ट नहीं आई कि बारहवीं कक्षा के रिजल्ट के बाद हमें एग्जाम के लिए एलाऊ किया जाए या नहीं किया जाए। आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन इसका स्टैण्डर्ड बहुत हाई मेन्टेन किया जाता है। टेस्ट भी इतने हाई लेवल का होता है कि जिन स्टूडेन्ट्स को एडमिशन मिलता है, वह मेरिट के हिसाब से मिलता है। हमारे ऊपर आज भी इतना इन्फ्लुएंस आता है कि हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए, लेकिन कोई स्पेशल कोटा हमारे पास नहीं होता है। मेरिट के हिसाब से पूरा एडमिशन दिया जाता है। अगर आपका ऐसा सुझाव है तो हम अपने बोर्ड गवर्नर्स के साथ इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि यह सुझाव है, इसे किया जाए, लेकिन आज तक कोई कम्पलेन्ट नहीं आई है। दूसरा, आपने बताया कि इस डिप्लोमा की शुरुआत अभी की है, तीन साल की जगह चार साल का डिप्लोमा कोर्स किया है। एक बहुत अच्छा बिल हम विंटर सेशन में लेकर आने वाले हैं। जिसमें एक इंस्टीटयूट, एक बहुत अच्छे नेशनल इंस्टीटयूट की चीज, जिसका आई॰आई॰टी॰ लेवल मेन्टेन किया जाए, जैसा एक बिल पेश करेंगे। यह कैबिनेट के सामने एण्ड ऑफ अगस्त तक आ जाएगा। हमने सभी के साथ प्रोफोर्मा सर्कुलेट किया है कि यह बिल हम रखने जा रहे हैं। इसके विजीटर शायद प्रेजिडेंट साहब होंगे। यह एक बहुत अच्छा बिल आएगा। बिल के बाद हम डिग्री दे पाएंगे और इसमें शायद डिप्लोमा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

श्री ललितभाई मेहता: मंत्री जी, अपने उत्तर में यह बताया है कि इस इंस्टीटयूट में, गांधीनगर में, जो कि आपका भी निवास स्थान हैं, वहां पर बहनों के लिए रहने की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, आपकी मिनिस्ट्री की ओर से या इंस्टीटयूट की ओर से नहीं हुई है। गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए बने आवासों में से कुछ आवास किराए पर लिए हैं। ये इतनी खराब स्थिति में हैं कि वहां न तो फर्नीचर की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। बहनों के पढ़ने का कोई वातावरण ही नहीं बनता है। सरकारी कर्मचारी ऊपर रहता है, नीचे बहनें रहती हैं। आपने उत्तर दिया है कि आपके पास एडीशनल लैंड अवेलेबल है। मैं जानना चाहता हूं कि यह लैंड आपके पास कब से अबेलेबल है? वहां पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान अभी तक क्यों नहीं किया गया?

नियर फ्यूचर, जैसा आपने कहा, इस नियर फ्यूचर के हम क्या मायने समझें? मैं पूछना चाहता हूं कि इस नियर फ्यूचर में कितने साल लगेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, जल्दी से छात्राओं के लिए छात्रावास का प्रबंध कर दीजिए, वरना आपके घर पर कब्जा हो जाएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, जब मैं मिनिस्टर नहीं था, तब भी ये कम्पलेन्ट्स मेरे पास आती थीं। आपकी इन्फोर्मेशन के लिए बता दूं कि गांधी नगर में, जहां पर यह इंस्टीट्यूट है, वहां पर एडीशनल लैंड मिल गई है। बहुत जल्द गर्ल्स के लिए एक छात्रावास बनने जा रहा है।

श्री सभापति: आपकी बात बहुत बढ़िया है।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, fashion trends have becomes controversial these days. But I am not going into that. The Minister has said that efforts are being made by the Government to declare NIFT as an institute of national importance. Before granting this status, would the Minister ensure that Indian art and Indian culture would be stressed, mandatorily, in the course offered by the institute?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, हम बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं। यह आई.आई.टी., एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के हिसाब से बनेगा। अभी एक नए कलस्टर के हिसाब से, आर्टिजेन्स के हिसाब से हमारे स्टूडेन्ट्स जाएं, इसके लिए दो-तीन जगह प्रयोग होने जा रहे हैं। इसमें सुरेन्द्र नगर है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की भी इसमें डिमांड है। मैं समझता हूं कि हमने आर्टिजेन्स के हिसाब से, क्राफ्टमैन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से एक नया सिस्टम स्टूडेन्ट्स के लिए शुरू किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इससे क्राफ्ट क्लस्टर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्स मिलेगी।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, NIFT is doing a good job. There is heavy demand for admission also. In this connection, the Minister has already mentioned the names of some States. We all in the Committee demanded to have an institute in the State of Kerala also. I would like to know from the hon. Minister as to what extent he has proceeded to start a new institute in Kerala.

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, हमारा बिल शायद विंटर सेशन में पास हो जाएगा और यह बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा। इसके लिए कई राज्यों से नए सेंटर्स के लिए हमारे पास डिमांड आई है — केरल से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, उड़ीसा से आई है, गुजरात से आई है, कई राज्यों से डिमांड आई है। अभी यू.पी. सरकार के साथ लखनऊ में हमारी बात चल रही है। अगर राज्य

सरकार पॉजिटिव रहेगी तो वर्ष 2004-06 तक जितने भी राज्य हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस और म्युच्युल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी फैसला होगा, उसके आधार पर सभी राज्यों को NIFT के नए सेंटर्स मिलने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में बाढ़

*144. **श्री पी० के० माहेश्वरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इस साल की बाढ़ से प्रदेश में खेती को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या इस आपदा का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई राहत सहायता को सरकार द्वारा पूरी तरह मुहैया करा दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राहत व्यय के वित्त पोषण की मौजूदा योजना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार, आपदा राहत निधि (सी आर एफ), जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में योगदान दिया जाता है, की समग्र निधि में से बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 2005-06 के लिए सी आर एफ में 254.23 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है जिसमें 190.67 करोड़ रु० का केन्द्रीय योगदान तथा राज्य योगदान के रूप में 63.56 करोड़ रु० शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य को 95.335 करोड़ रु० की राशि, 6 जुलाई, 2005 को सी आर एफ के केन्द्रीय अंश की प्रथम किश्त के रूप में जारी की जा चुकी है।

गंभीर स्वरूप की आपदा की स्थिति में और यदि राज्य के सी आर एफ खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) में से राज्यों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, भारत सरकार वित्तीय और संभारिकी सहायता उपलब्ध करवाकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में, अनुमोदित मदों और व्यय के मानदंडों के अनुसार सी आर एफ/एन सी सी एफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।